

# मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

(परीक्षा सेल)

कं0 104/सी0जे0/16


जबलपुर, दिनांक 02.11.2016

## शुद्धि पत्र

दिनांक 06.10.2016 को प्रकाशित मध्यप्रदेश सिविल जज वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2016 के विज्ञापन के संबंध में ।

उपरोक्त उल्लेखित विज्ञापन के खण्ड अ-छ: में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट के खण्ड (अ) में आये वाक्यांश "मध्यप्रदेश के मूल निवासी .....3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।" के उपरान्त "दिव्यांग आवेदकों को उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।" जोड़ा जाये ।

विज्ञापन दिनांक 06.10.2016 तदनुरूप संशोधित किया जावे ।

  
(उमेश कुमार श्रीवास्तव)  
रजिस्ट्रार (परीक्षा)